(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1362-दो/2004 - विरूद्ध आदेश दिनांक 26-8-2004 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 101/2003-04 निगरानी

गंभीर नाथ पुत्र रामावतार जोगी
ग्राम अकोरी तहसील देवसर जिला सीधी ---आवेदक

विरूद्ध

1- किरीटीप्रसाद पुत्र शिवप्रसाद पाठक
2- बेदान्तीप्रसाद पुत्र शिवप्रसाद पाठक
ग्राम सुपेला तहसील देवसर जिला सीधी ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(आवेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित -एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 10-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 101/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-8-2004 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार देवसर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम अकोरी की शासकीय भूमि सर्वे कमांक

113/19 का रबा 1 एंव 113/18 का 4 एकड़ 1975-76 के पूर्व से उसके कब्जे में है एंव खेती करता आ रहा है इसलिये इस भूमि का व्यवस्थापन उसके नाम किया जाय। तहसीलदार ने इस भूमि को आवेदक के नाम व्यवस्थापित किया। व्यवस्थापन आदेश के विरूद्व अनावेदक क-2 ने अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी के यहां अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी ने अपील निरस्त कर दी। तदुपरांत आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने अपील स्वीकार कर तहसीलदार का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 16-2-89 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। तहसीलदार देवसर ने प्रकरण कमांक 12 अ-74/2003-04 में पुनः कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 6-11-2003 से दावा सॅशोधन की अनुमति प्रदान कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर बेढ़न जिला सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर बेढ़न ने प्रकरण कमांक 98/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-6-2004 से तहसीलदार देवसर का आदेश दिनांक 6-11-03 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 101/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-8-2004 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई हैं।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वाद विचारित भूमि आवेदक के नाम आदेश दिनांक 16-9-89 से व्यवस्थापित की गई है तभी से आवेदक इस भूमि पर काविज होकर खेती करके अपने बाल-बच्चों का पालन

पोषण करता आ रहा है। व्यवस्थापन आदेश दिनांक 16-9-89 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी देवसर चितरंगी के समक्ष अपील हुई थी जो निरस्त हुई है। जब अपर आयुक्त के आदेश से मामला तहसील न्यायालय में पक्षकारों की सुनवाई हेतु वापिस हुआ है तहसीलदार ने पक्षकारों को सुनकर एंव आवेदक को पात्र पाकर आदेश दिनांक 6-11-2003 से व्यवस्थापन को पुष्टिकृत किया है परन्तु अपर कलेक्टर एंव अपर आयुक्त ने जानबूझकर वास्तविकता के विपरीत आदेश पारित किये है जिन्हें निरस्त करते हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 6-11-2003 को यथावत् रखे जाने की मांग की गई।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 101/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-8-2004 का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 26-8-04 में निष्कर्ष दिया है कि विचारण न्यायालय ने ग्राम अकोरी की भूमि खसरा नंबर 391 रकबा 1.61 हैक्टर मध्य प्रदेश शासन के बजाय आवेदक के पक्ष में भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान कर दिया है जो विधि-सम्मत नहीं है। इस प्रकार उन्होंने शासन हित की भूमि आवेदक के नाम अनुचित तरीके से कर देने के आधार पर अपर कलेक्टर बैढ़न के प्रकरण कमांक 98/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-6-2004 को पुष्टिकृत किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 101/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-8-2004 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर